damages for advertisements in this newspaper.

A
egal
ard
ents'

INDIA

vernment's
n Branch
g 33 alleged
nent at the
ard during
hip of AAP
manatullah
was booked
r suspected
ie Board's
said.
he ACB said,
rent clear
ointing out
es and regu-
recruitment
ntinued and
vere recruit-
t basis and
ters were is-
aid that Mr.
made an ex-
lakh in vio-
ard norms.

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

46बी, आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Phone : 0135-2658086, Fax : 0135-2718092 Web: www.ueppcb.uk.gov.in

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए सूचना

पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्न प्रस्तावकों के द्वारा लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिए राज्य स्तरीय पर्यावरण समघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये है, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावकों के द्वारा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना आदि तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु "पैनल" की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद–बागेश्वर या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम पद का न हो, लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

परियोजना से सम्बंधित जमा समस्त अभिलेख क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय–देहरादून मुख्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी, कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर, कार्यालय जिला पंचायत, बागेश्वर, जिला उद्योग केन्द्र, बागेश्वर एवं कार्यालय नगर पालिका, बागेश्वर में उपलब्ध है जिनका कोई भी इच्छुक संस्था/व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट के सारांश की प्रति www.ueppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

निम्न उल्लेखित परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि, समय व स्थान निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

इकाई का नाम	वर्तमान में लोक सुनवाई की तिथि	लोक सुनवाई हेतु प्रस्तावित स्थल	समय
मै0 पार्थ मिनरल्स, बमोरी, नैनीताल बैंक के पीछे, तल्लीखाम, पीलाकोठी, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, मै0 सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-गुमती, तहसील व जिला बागेश्वर। (एरिया–10276 हेक्टेअर)	03.03.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से
मै0 एच.बी. कार्पोरेशन, मै0 सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-मुस्योली, तहसील व जिला बागेश्वर। (एरिया–6.988 हेक्टेअर)	04.03.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से
श्री राजेन्द्र सिंह नगरकोटी, थर्प, तहसील-कांडा, जिला-बागेश्वर मै0 सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-बनसतोली, तहसील-कांडा, जिला-बागेश्वर (एरिया–4.933 हेक्टेअर)	06.03.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से
श्री गोविन्द सिंह भौर्याल पुत्र श्री खुशाल सिंह भौर्याल, मै0 सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-दयाली कुरोली तहसील-दुगनाकुरी, जिला-बागेश्वर। (एरिया–4.982 हेक्टेअर)	07.03.2020	परियोजना स्थल	प्रातः 11 बजे से

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि अपने अपने क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव के सम्बंध में अपने मौखिक, लिखित सुझाव, टीका टिप्पणीयाँ एवं आपत्तियां इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

M
K

The Hindu 1/2/2020 Delhi